रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265008
CG-DL-E-28072025-265008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 3386] | नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947 |
| No. 3386] | NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947 |

## मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

## (मत्स्यपालन विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

**का.आ. 3463(अ).—** केंद्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (त ) के साथ पठित, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, जलक्षेत्र और जल मानचित्रण के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त नाम जल क्षेत्र और जल मानचित्रण को अधिसूचित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **जल क्षेत्रीकरण और जल मानचित्रण.-** (1) प्राधिकरण और राज्य सरकार पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय तटीय जलकृषि के लिए जल क्षेत्रीकरण और जल मानचित्रण विकसित करेंगे।

   (2) जल क्षेत्रीकरण और जल मानचित्रण का विकास निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा:-

   (क) भूमि सर्वेक्षण, उप-विभाजन, सीमाओं के साथ एकीकृत उच्च-विभेदन भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रों का उपयोग और भूमि स्वामित्व का भूमि उपयोग मानचित्र और विनियामक अपेक्षाओं के साथ विलय;

(ख) निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उनका पता लगाना, अर्थात् समुद्र तट, मुहाना, नदी, खाड़ी, बैकवाटर जैसे जल स्रोत और क्षेत्र सर्वेक्षणों द्वारा मान्य बहु-मानदंड निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से भूमि का प्रकार ;

(ग) विभिन्न प्रकार के जलकृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों या प्रजातियों या भंडारण घनत्व या ऐसे क्षेत्रों में सभी के संयोजन के लिए उपयुक्त व्यापक क्षेत्रों को परिभाषित किया जाएगा ताकि किसी भी पर्यावरणीय खतरे का निवारण और उपशमन किया जा सके ।

**3. जलक्षेत्रीकरण और मानचित्रण की प्रक्रिया.-** (1) भूमि आधारित जलकृषि और खुले जल निकायों में जलकृषि के लिए जलकृषि क्षेत्रों को स्थानिक योजना के माध्यम से पर्यावरणीय उपयुक्तता और अन्य संसाधन उपयोग योजनाओं पर विचार करने के बाद चिन्हित किया जाएगा।

(2) जलकृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान वर्तमान भूमि उपयोग, संसाधनों के उपयोग की सीमा, स्रोत जल निकायों की वहन क्षमता, स्थल-विशिष्ट जल गुणवत्ता मापदंडों, मृदा गुणवत्ता और पालन प्रजातियों पर विचार करते हुए की जाएगी।

(3 ) कृषि भूमि, मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, वन भूमि, बाढ़-प्रवण क्षेत्र, वर्षा ऋतु के दौरान जल धारण करने वाले क्षेत्र, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी भूमि जलकृषि इकाइयों में परिवर्तित नहीं की जाएगी।

(4) जलकृषि क्षेत्र में जलकृषि इकाइयों को भंडारण घनत्व, कृषि के तरीकों, वहन क्षमता, जैव सुरक्षा, जैव विविधता और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर विनियमित किया जाएगा।

(5 ) जलकृषि इकाइयाँ अन्य उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियों जैसे मैंग्रोव, कृषि भूमि और अभयारण्यों और समुद्री पार्कों जैसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बफर ज़ोन बनाए रखेंगी। जलकृषि इकाइयों को जल निकाय की वहन क्षमता के आधार पर जलकृषि क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखनी होगी ।

**(6)** संभावित जलकृषि क्षेत्रों का प्रत्येक मानचित्र उपलब्ध संसाधन-**साझाकरण क्षमता और** उपलब्ध **अनुत्पादक भूमि के आधार पर तैयार किया जाएगा।**

**(7)** जलकृषि क्षेत्रों के लिए व्यापक वहन क्षमता आकलन जल निकायों की वहन क्षमता सीमा की पहचान करके और उन्हें जलकृषि स्थल, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंसिंग और उत्पादन सीमाओं के लिए उपयोग करके किया जाएगा ।

(8) तालाब जलकृषि के लिए उपयुक्त भूमि का भू-**स्थानिक मानचित्रण भूमि उपयोग, मृदा विशेषताओं, स्रोत जल निकायों से जल की गुणवत्ता, पर्यावरण विनियमन, विशेष क्षेत्र में अन्य उपयोगकर्ता** हितसंघर्ष **और** इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच को एकीकृत करेगा और मापदंडों की रैंकिंग प्रत्येक मानदंड के लिए सबसे उपयुक्त से अनुपयुक्त तक परिभाषित पैमाने पर स्कोर की जाएगी।

(9) जल क्षेत्रों के मानचित्रण में सामाजिक-**सांस्कृतिक विशेषताओं, सामाजिक मुद्दों, स्थानीय क्षेत्र के मास्टर प्लान और मानचित्रण के लिए आवश्यक अन्य** संभार तंत्र पर भी विचार किया जाएगा, **ताकि** मत्स्यन कार्य **में लगे स्थानीय लोगों की आजीविका की रक्षा की जा सके और** मत्स्यन **मैदानों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ** हित**संघर्ष से बचा जा सके।**

**(10)** जलकृषि क्षेत्र के भीतर प्रत्येक जलकृषि इकाई के पास भूमि के स्वामित्व या पट्टे का प्रमाण होना चाहिए।

(11) जैव सुरक्षा और ज़ोनिंग रणनीतियों में उन क्षेत्रों का जलकृषि प्रबंधन शामिल होगा जो फार्म के समूह के रूप में हैं और एक सामान्य जल आपूर्ति साझा करते हैं और इतने निकट हैं कि रोग और जल गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाओं को व्यक्तिगत खेतों के बजाय सामूहिक रूप से प्रबंधित किया जाता है।

(12) जलकृषि के लिए क्षेत्रों को नामित किया जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए स्थानिक योजनाएं विकसित और प्रकाशित की जाएंगी, जो जलकृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करेंगी तथा स्थान के विविध उपयोगों और उपयोगकर्ताओं पर विचार करेंगी।

**4. जल क्षेत्रीकरण और जल मानचित्रण के लिए मानदंड.-** जल क्षेत्रीकरण और जल मानचित्रण के लिए भूमि की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा, अर्थात:-

(क) कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, अतीत में अनुपजाऊ, पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों से बफर जोन का सीमांकन किया जाएगा;

(ख) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित तटीय और समुद्री पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों सहित जैव विविधता, महत्वपूर्ण निवास और संकटापन्न प्रजातियों वाले तट और मुहाने के साथ पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किसी भी जलकृषि गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ग) मुहाना, बैकवाटर, नहरों, नदियों, खाड़ियों और नालों में स्रोत और मौसमी आधार पर जल की उपलब्धता का आकलन;

(घ) खाड़ियों, नहरों, नदियों और नालों में पीएच, कठोरता और लवणता जैसे जल गुणवत्ता मापदंडों का मूल्यांकन;

(ड.) प्रबंधन उपायों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता (चिकनी दोमट मिट्टी, गादयुक्त मिट्टी, गादयुक्त दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी);

(च) उपयुक्त मृदा का मूल्यांकन, जिसमें मृदा पीएच और मृदा बनावट दोनों पर विचार करना आवश्यक होगा;

(छ) जलकृषि तालाबों से घिरी अनुत्पादक भूमि अथवा क्षारीय, कम उत्पादक और कृषि के लिए अनुत्पादक, उच्च लवणता और क्षारीयता वाली भूमि की पहचान की जाएगी;

(ज) अन्य कारकों जैसे ऊँची भूमि, तूफान के खतरे की संवेदनशीलता और ज्वार की सीमा पर डेटा की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा;

(झ) जल निकायों, मृदा, भूजल के प्रदूषण तथा आस-पास की कृषि और बागवानी फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी;

(ञ) प्रजातियों का संवर्धन निम्नलिखित जल लवणता के आधार पर किया जाएगा:-

(i) उच्च लवणीय तटीय क्षेत्र: 15 पीपीटी से ऊपर - झींगा ( *एल. वन्नामेई, पी. इंडिकस)* , मडक्रैब, समुद्री शैवाल(सीवीड) , कोबिया, सीबास, सिल्वर पोम्पानो, ग्रुपर्स, स्नैपर्स, सीप, मसल्स, समुद्री सजावटी मछली, और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त कोई भी अन्य प्रजाति;

(ii) खारा जल क्षेत्र: 5-15 पीपीटी - झींगा ( *एल. वन्नामेई, पी. मोनोडोन* , *पी. इंडिकस* ) मडक्रैब, सीबास, तिलापिया, खारा जल सजावटी मछली, समुद्री शैवाल (सीवीड) और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त कोई भी अन्य प्रजाति।

**5. जलकृषि क्षेत्रीकरण और मानचित्रण प्रक्रिया.- (1) जलकृषि क्षेत्र में** पंचायत या गांव के भीतर की इकाइयां सम्मिलित होंगी।

(2) प्रत्येक पंचायत या गांव में, प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर तटीय जलकृषि क्षेत्र की पहचान सर्वेक्षण संख्या और तटीय जलकृषि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण संख्या से की जाएगी।

(3) जियो-टैगिंग मत्स्यपालन, राजस्व, सिंचाई, कृषि, वन, पंचायत राज और पर्यावरण विभागों के प्रतिनिधियों से गठित समिति द्वारा की जाएगी।

(4) किसानवार आंकड़े प्ररूप त -1 में एकत्र किए जाएंगे।

(5) प्रत्येक पंचायत या गांव में जलकृषि के लिए उपयुक्त संभावित भूमि की पहचान, समिति द्वारा फार्म पी-2 में किसानवार सर्वेक्षण संख्या और भू-निर्देशांक के साथ की जाएगी

(6) उपलब्ध भूमि का वर्गीकरण राजस्व या कृषि विभाग के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार होगा।

(7) मौजूदा जलकृषि भूमि और संभावित भूमि के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र सीमांकन के साथ भू-स्थानिक सूचना और जिलावार मानचित्र - सुदूर संवेदन या अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से उपग्रह-आधारित मानचित्रों का उपयोग किया जाएगा।

(8) लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग या जल संसाधन विभाग के पास उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

(9) खारा जल के जलकृषि फार्मों और जलकृषि के लिए उपयुक्त भूमि को प्ररूप त-1 और प्ररूप त-2 में एकत्रित किसान-वार सूचना, प्ररूप त-3 में गांव या पंचायत की सूचना और प्ररूप त-4 में जलकृषि के लिए उपयुक्त संभावित भूमि के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(10) ग्राम सभा, तालुक या मंडल और जिला स्तर की बैठकें आयोजित करके जल क्षेत्रों और संभावित भूमि की पहचान करते समय सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

(11) आंकड़ों का व्यापक प्रकाशन पंचायतों, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों, जिला वेबपोर्टल पर से नोटिस बोर्ड के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें समिति द्वारा पहचाने गए जल क्षेत्रों और संभावित भूमि पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और प्राप्त शिकायतों पर विधिवत विचार किया जाएगा और संबंधित ग्राम सभा के अनुमोदन से अंतिम आंकड़े गांव या पंचायत और जिले के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(12) उप-विनियम (3) में उल्लिखित समिति अनुमोदित जलक्षेत्र डेटा को गांव या पंचायत स्तर पर जलकृषि के लिए उपयुक्त संभावित भूमि के विवरण के साथ जिला स्तरीय समिति को अंतिम रूप देने के लिए भेजेगी।

(13) उक्त नियमों के नियम 10 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति, प्ररूप त-3 में जलकृषि क्षेत्र और प्ररूप त-4 में जलकृषि के लिए उपयुक्त संभावित भूमि को अंतिम रूप देगी और जलकृषि क्षेत्रों में विकसित की जाने वाली अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं को भी विनिर्दिष्ट करेगी तथा संबंधित मत्स्यपालन आयुक्त या निदेशक को आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगी।

(14) संबंधित मात्स्यिकी आयुक्त या मात्स्यिकी निदेशक जलकृषि क्षेत्र की जांच करेंगे और उसे राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखेंगे, जिसमें निदेशक से नीचे के पद के प्रतिनिधि नहीं होंगे और जिसकी अध्यक्षता सचिव, मत्स्यपालन करेंगे, ताकि जांच की जा सके और सरकार को उचित कार्रवाई की सिफारिश की जा सके।

(15) संबंधित मात्स्यिकी आयुक्त या निदेशक तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित जलक्षेत्रों के आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशन हेतु प्राधिकरण के साथ साझा करेंगे।

(16) जल क्षेत्रों के आंकड़े और जल मानचित्र तैयार कर पंचायत या ग्राम स्तर, तालुक या मंडल और जिला स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

<<<>>>

**प्ररूप त-1**

**(पैरा 5 के उप-पैरा (4) और (7) देखें)**

**जल क्षेत्रों की घोषणा के लिए मौजूदा तटीय जलकृषि फार्म (फार्मों) के लिए सर्वेक्षण प्ररुपण**

1. सर्वेक्षण की तारीख :
2. फार्म का स्वामित्व (किसान द्वारा स्वयं के स्वामित्व में/ :
   पट्टा पर /सरकारी भूमि/वन/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
3. यदि किसान के स्वामित्व में है या पट्टे पर है, तो किसान का विवरण
   (क) किसान का नाम (बड़े अक्षरों में) :
   (ख) पिता/पति का नाम :
   (ग) आवासीय पता :
   (घ) मोबाइल नंबर :

(ङ) ईमेल आईडी :

(च) आधार नंबर (स्वैच्छिक) :

4. तटीय जलकृषि फार्म स्थान विवरण

(क) गांव/पंचायत :

(ख) तालुक/मंडल :

(ग) पिन कोड सहित जिला :

(घ) सर्वेक्षण संख्या :

(ङ) भू-निर्देशांक

(I) देशांतर :

(II) अक्षांश :

5. कुल कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर) :

6. जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर) :

7. विद्यमान तालाबों की संख्या :

8. जल का स्रोत (समुद्र/खाड़ी/नहर/बैकवाटर /अन्य (विनिर्दिष्ट करें) :

9. जल स्रोत का नाम :

10. जलकृषि प्रारंभ करने की तिथि और वर्ष :

11. क्या फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है? (हां/नहीं) :

(क) यदि पंजीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या :

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तिथि :

(ग) रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण अवधि की वैधता :

12. फार्म की मृदा की विशेषताएँ

(क) मृदा का प्रकार (दोमट मिट्टी, गादयुक्त मिट्टी, गादयुक्त चिकनी मिट्टी दोमट और चिकनी मिट्टी आदि) विनिर्दिष्ट करें :

(ख) पीएच :

13. जल गुणवत्ता मापदंड

(क) लवणता का स्तर :

(5 पीपीटी से अधिक और 15 पीपीटी तक/ 15 पीपीटी से ऊपर, कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ख) पीएच :

(ग) क्षारीयता (CACO3 के रूप में पीपीएम ) :

(घ) कठोरता (CACO3 के रूप में पीपीएम ) :

14. क्या फार्म का पूरा या आंशिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है? (हां/नहीं)

(क) कृषि भूमि :

(ख) वन भूमि/सरकारी भूमि :

(ग) गांव/सार्वजनिक साझा प्रयोजन के लिए भूमि :

(घ) मैंग्रोव/पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र :

15. फार्म स्थल की निम्न से दूरी बताएं

(क) उच्च ज्वार रेखा :

(ख) निकटतम पेयजल स्रोत :

(ग) कृषि भूमि :

(घ) मैंग्रोव/पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र :

(ङ) मानव बस्ती :

(च) अभयारण्य/विरासत क्षेत्र :

(छ) आरक्षित वन :

16. स्थापित जैव-सुरक्षा सुविधाओं का विवरण

(क) केकड़ा/मानव बाड़ (हाँ/नहीं) :

(ख) पक्षी बाड़गाना (हाँ/नहीं) :

(ग) कीटाणुनाशक से पैर डुबाना (हाँ/नहीं) :

(घ) कीटाणुनाशक से हाथ डुबाना (हाँ/नहीं) :

(ङ) उचित निस्पंदन के साथ इनलेट (हाँ/नहीं) :

(च) जालीदार बैग के साथ आउटलेट (हां/नहीं) :

(छ) अपशिष्ट उपचार प्रणाली (हाँ/नहीं) :

(ज) यदि हाँ, तो फार्म क्षेत्र का कितना प्रतिशत अपशिष्ट उपचार प्रणाली के लिए चिन्हित किया गया है ?

(झ) हरित पट्टी विकास (हां/नहीं) :

(ञ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (हाँ/नहीं) :

(ट) प्रत्येक तालाब के लिए अलग उपकरण (हाँ/नहीं) :

17. प्रजाति संवर्धन विवरण:

(क) झींगा (प्रजाति विनिर्दिष्ट करें ) :

(ख) केकड़ा (प्रजाति विनिर्दिष्ट करें ) :

(ग) समुद्री फिनफ़िश (प्रजाति विनिर्दिष्ट करें ) :

(घ) अन्य (प्रजाति विनिर्दिष्ट करें ) :

(ङ) भंडारण घनत्व (बीज/ वर्ग मीटर) :

18. क्या तटीय जलकृषि फार्म का आस-पास के स्रोतों पर
कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
(कृषि भूमि, पेयजल, मैंग्रोव, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों,
मछुआरों/अन्य उपयोगकर्ताओं की आजीविका या
मानव बस्तियां आदि पर प्रभाव), यदि हाँ, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें :

19. फार्म को जल क्षेत्रीकरण के अधीन घोषित करने के संबंध में
समिति की संस्तुति :

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर :

**प्ररूप त-2**

**(पैरा 5 के उप-पैरा (5) और (7) देखें)**

**तटीय जलकृषि के लिए उपयुक्त संभावित भूमि की पहचान के लिए सर्वेक्षण प्रारूप**

1. सर्वेक्षण की तारीख :
2. संभावित भूमि का स्वामित्व विवरण :
(किसान द्वारा स्वयं के स्वामित्व में/ :
पट्टा पर /सरकारी भूमि/वन/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
3. यदि किसान के स्वामित्व में है या पट्टे पर है, तो किसान का विवरण
(क) किसान का नाम (बड़े अक्षरों में) :
(ख) पिता/पति का नाम :
(ग) आवासीय पता :
(घ) मोबाइल नंबर :
(ङ) ईमेल आईडी :
(च) आधार नंबर (स्वैच्छिक) :
4. संभावित भूमि का स्थान:
(क) गांव/पंचायत :
(ख) तालुक/मंडल :
(ग) पिन कोड सहित जिला :
(घ) सर्वेक्षण संख्या :
(ङ) भू-निर्देशांक
(I) देशांतर :
(II) अक्षांश :
5. भूमि का कुल विस्तार (हेक्टेयर) :

6. संभावित भूमि की श्रेणी (कम उत्पादक/क्षारीय/लवणीय/
निम्न स्तर पर/अन्य (विनिर्दिष्ट करें))

7. भूमि की वर्तमान उपयोगिता :
(कृषि फसल/ बंजर/ अन्य विनिर्दिष्ट करें)

8. संभावित भूमि की मृदा की विशेषताएँ

(क) मृदा का प्रकार (दोमट मिट्टी, गादयुक्त मिट्टी, :
गादयुक्त चिकनी मिट्टी, दोमट और चिकनी मिट्टी आदि)
विनिर्दिष्ट करें

(ख) पीएच

9. खारा जल का उपलब्ध स्रोत :
(समुद्र/खाड़ी/नहर/बैकवाटर/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

10. जल स्रोत का नाम :

11. लवणता स्तर (पीपीटी रेंज) :

12. क्या संभावित भूमि का पूरा या आंशिक हिस्सा निम्नलिखित में से
किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है? (हां/नहीं)

(ङ) कृषि भूमि :
(च) वन भूमि/सरकारी भूमि :
(छ) गांव/सार्वजनिक साझा प्रयोजन के लिए भूमि :
(ज) मैंग्रोव/पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र :

13. फार्म स्थल की निम्न से दूरी बताएं

(ज) उच्च ज्वार रेखा :
(झ) निकटतम पेयजल स्रोत :
(ञ) कृषि भूमि :
(ट) मैंग्रोव/पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र :
(ठ) मानव बस्ती :
(ड) अभयारण्य/विरासत क्षेत्र :
(ढ) आरक्षित वन :

14. क्या संभावित भूमि को जलकृषि फार्म में परिवर्तन के मामले में,
आस-पास के स्रोतों पर कोई प्रभाव पड़ेगा :
(कृषि भूमि, पेयजल, मैंग्रोव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील
क्षेत्रों, मछुआरों/अन्य उपयोगकर्ताओं की आजीविका और
मानव बस्तियों पर प्रभाव) यदि हाँ, तो कृपया स्पष्ट करें

15. तटीय जलकृषि के लिए उपयुक्त संभावित भूमि के रूप में
घोषित करने के लिए समिति की सिफारिश :

**समिति के हस्ताक्षर**

**प्ररूप त-3**

**(पैरा 5 के उप-पैरा (7) और (11) देखें)**

| ——————जिले में जलकृषि क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रस्तावित मौजूदा जलकृषि क्षेत्र के लिए पंचायत/गांववार रिपोर्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला: | | | | | | | | तालुक/मंडल: | | | | पंचायत/गांव: | | | | | |
| कृषि एवं अन्य फसलों के अंतर्गत विद्यमान कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में): जलकृषि के अंतर्गत विद्यमान कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्रमसं. | फार्म का स्वामित्व | यदि किसान की अपनी भूमि है तो किसान का नाम | पिता/ पति का नाम | सर्वेक्षण नंबर खाता/प्लॉट नंबर | फार्म का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भू-निर्देशांक | | जल स्रोत | मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार मृदा की विशेषताएं | | | जल स्रोत(सीमा का उल्लेख किया जाना है) के लिए जल स्रोत विशेषताएँ | | | | क्या फार्म का आस-पास के संसाधनों पर कोई प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें। | जल क्षेत्र घोषित करने के लिए समिति की टिप्पणी/सिफारिश |
| | | | | | | देशान्तर | अक्षांश | | मृदा का प्रकार | पीएच | सी:एन अनुपात | पीएच | खारापन | क्षारीयता | कठोरता | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

स्तंभ-2: फार्म का स्वामित्व: किसान की अपनी/पट्टा पर /सरकारी भूमि/वन/अन्य विनिर्दिष्ट करें

स्तंभ-9: जल स्रोत (समुद्र/बैकवाटर/नाली/खाड़ियां/नहरें/आदि)

स्तंभ-10: मृदा का प्रकार (दोमट चिकनी मिट्टी, गादयुक्त चिकनी मिट्टी, दोमट चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि)

स्तंभ-17: कृषि भूमि, पेयजल, मैंग्रोव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, मछुआरों/अन्य उपयोगकर्ताओं की आजीविका, मानव बस्तियों आदि पर प्रभाव (हां/नहीं),

यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें समिति सदस्यों के हस्ताक्षर:

| प्ररूप त-4<br>(पैरा 5 के उप-पैरा (7) और (11) देखें) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तटीय जलकृषि में रूपांतरण के लिए उपयुक्त संभावित भूमि की पहचान पर पंचायत/गांववार सर्वेक्षण रिपोर्ट ________________ जिला | | | | | | | | | | | | | | | |
| जिला: | | | | | | तालुक/मंडल: | | | | | | पंचायत/गांव: | | | |
| कृषि एवं अन्य फसलों के अंतर्गत मौजूदा क्षेत्र :: जलकृषि के अंतर्गत मौजूदा क्षेत्र (हेक्टेयर में):<br>जलकृषि के लिए उपयुक्त संभावित भूमि के रूप में चिन्हित कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में): | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्रम संख्या | भूमि का स्वामित्व | यदि किसान की अपनी भूमि है तो किसान का नाम | पिता/पति का नाम | सर्वेक्षण नंबर | संभावित भूमि का विस्तार (हेक्टेयर में) | भू-निर्देशांक. | | भूमि की वर्तमान उपयोगिता | भूमि की श्रेणी | उपलब्ध खारे पानी का स्रोत. | उपलब्ध जल स्रोत की लवणता (पीपीटी-रेंज)। | मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार मृदा की विशेषताएं | | क्या चिन्हित की गई संभावित भूमि का आस-पास के संसाधनों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो विनिर्दिष्टकरें। | तटीय जलकृषि में परिवर्तन के लिए संभावित भूमि के रूप में घोषित करने के लिए समिति की टिप्पणी/सिफारिश |
| | | | | | | देशांतर | अक्षांश | | | | | मृदा का प्रकार | पीएच | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

स्तंभ-2: भूमि का स्वामित्व (किसान की स्वयं की/पट्टे पर ली गई/सरकारी भूमि/वन/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

स्तंभ-9: भूमि की वर्तमान उपयोगिता (कृषि फसलों/बंजर/अन्य के अधीन (विनिर्दिष्ट करें)

स्तंभ-10: भूमि की श्रेणी (कम उत्पादक/क्षारीय/लवणीय/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

स्तंभ-11: उपलब्ध खारे जल का स्रोत (समुद्र/नाली/खाड़ियां/नहरें/आदि)

स्तंभ-13: मृदा का प्रकार (दोमट चिकनी मिट्टी, गादयुक्त चिकनी मिट्टी, गादयुक्त दोमट चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि)

स्तंभ-15: कृषि भूमि, पेयजल, मैंग्रोव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों , मछुआरों/अन्य उपयोगकर्ताओं की आजीविका, मानव बस्तियों आदि पर प्रभाव (हां/नहीं), यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर:

[फा. सं. जे -1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद**,** संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

### (Department of Fisheries)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

**S.O. 3463(E).**—In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (p) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby makes the following guidelines for notifying the aqua zones and aqua mapping, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These guidelines may be called the Guidelines for notifying the Aqua Zones and Aqua Mapping, 2025.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Aqua zonation and aqua mapping.-** (1) The Authority and the State Government shall develop aqua zonation and aqua mapping for environmentally sustainable coastal aquaculture.

   (2) The aqua zoning and aqua mapping shall be developed by:-

   (a) use of high-resolution geographic information system maps, integrated with land surveys, sub-divisions, boundaries and land ownership merged with the land use map and regulatory requirements;

   (b) identifying and locating the potential areas, based on the following parameters, namely, the water source such as the sea front, estuary, river, creek, backwater and the type of land through the multi-criteria decision support system that is validated by the field surveys;

   (c) defining broad zones suitable for different types of aquaculture and other allied activities or species or stocking density or a combination of all in such zones to deter and abate any environmental hazard.

3. **Procedure of aqua zonation and mapping.-** (1) The aquaculture zones for land-based aquaculture and aquaculture in open water bodies shall be earmarked after considering the environmental suitability and other resource use plans through spatial planning.

   (2) Suitable zones for aquaculture shall be identified considering the present land use, extent of utilisation of resources, carrying capacity of the source water bodies, site-specific water quality parameters, soil quality and culture species.

   (3) Agricultural lands, mangroves, wetlands, forest lands, flood-prone regions, water-holding area during the rainy season, land meant for public purpose and ecologically sensitive areas like national

parks and sanctuaries or any land used for agriculture or horticulture shall not be converted to aquaculture units.

(4) Aquaculture units in an aquaculture zone shall be regulated based on stocking density, cultivation methods, carrying capacity, biosecurity, biodiversity, and other relevant parameters.

(5) Aquaculture units shall maintain buffer zones from other productive ecosystems such as mangroves, agricultural lands, and ecologically sensitive areas like sanctuaries and marine parks. Aquaculture units shall be permitted in the aquaculture zone based on the carrying capacity of the water body and shall maintain environmental sustainability.

(6) Each map of potential aquaculture zones shall be generated based on the available resource-sharing capacity and unproductive lands available.

(7) Broad carrying capacity estimation for aquaculture zones shall be done by identifying the carrying capacity limit of water bodies and using them for aquaculture siting, registration, licensing, and production limits.

(8) Geospatial mapping of suitable lands for pond aquaculture shall integrate land use, soil characteristics, water quality from source water bodies, environmental regulations, other user conflicts in the particular region and access to infrastructure and the ranking of parameters shall be scored for each criterion on a defined scale from most suitable to not suitable.

(9) The mapping of aqua zones shall also consider socio-cultural attributes, social issues, local area master plans and other logistics required for mapping to protect the livelihoods of the local people engaged in fishing and their access to fishing grounds and avoid conflict with other users.

(10) Every aquaculture unit within the aquaculture zone shall have proof of ownership or lease of land.

(11) Biosecurity and zoning strategies shall include aquaculture management of areas that are clusters of farms that share a common water supply and are in such proximity that disease and water quality management practices are best managed collectively rather than by individual farms.

(12) The zones for aquaculture shall be designated and for the said purpose spatial plans that identify suitable areas for aquaculture while considering and addressing diverse uses and users of space shall be developed and published.

**4. Criteria for aqua zoning and mapping.-** The following criteria shall be considered for identifying land for aqua zoning and mapping, namely:-

(a) lands not suitable for agriculture, nonproductive in the past, ecologically important regions and buffer zones from eco-sensitive areas, shall be demarcated;

(b) no aquaculture activity shall be allowed in ecologically important areas along the coast and estuaries with biodiversity, critical habitats and endangered species including coastal and marine ecologically sensitive areas and protected areas notified under the Environment Protection Act, 1986;

(c) assessment of availability of water by source and by seasonality in estuary, backwaters, canals, rivers, creeks and drains;

(d) assessment of water quality parameters such as pH, hardness and salinity in creeks, canals, rivers and drains;

(e) soil quality (clay loam, silty clay, silty clay loam or clay) for management measures;

(f) assessment of suitable soils requiring consideration of both soil pH and soil texture;

(g) unproductive lands surrounded by aquaculture ponds or lands that are alkaline, less productive and un-productive for agriculture, having high salinity and alkalinity shall be identified;

(h) other factors such elevated land, storm hazard vulnerability and tidal range shall be considered based on the availability of data;

(i) prevention of pollution of receiving water bodies, soil, groundwater and adverse impacts on nearby agriculture and horticulture crops shall be ensured;

(j) species culture shall be carried out depending on the following water salinity:-

(i) high saline coastal areas: above 15 ppt –Shrimp (*L. vannamei, P. indicus)*, Mudcrab, Seaweeds, Cobia, seabass, Silver pompano, Groupers, Snappers, Oysters, mussels, marine ornamental fish,and any other species permitted by the Central Government;

(ii) brackishwater areas: 5-15 ppt- Shrimp (*L. vannamei, P. monodon*, *P.indicus*) Mudcrab, Seabass, Tilapia, brackishwater ornamental fish, seaweed and any other species permitted by the Central Government.

**5. Aqua zonation and mapping process.-** (1) An aquaculture zone shall comprise of units within a panchayat or a village.

(2) In each panchayat or village, the coastal aquaculture area within the jurisdiction of the Authority shall be identified with survey numbers and Coastal Aquaculture Authority registration numbers.

(3) Geo-tagging shall be done by the Committee constituted with representatives from the departments of Fisheries, Revenue, Irrigation, Agriculture, Forest, Panchayat Raj and Environment.

(4) Farmer-wise data shall be collected in the Form P-1.

(5) In each panchayat or village, potential lands suitable for aquaculture shall be identified with survey numbers and geo-coordinates farmer-wise by the Committee in Form P-2.

(6) Classification of land available shall be as per the records available of the Revenue or Agriculture Department.

(7) Geospatial information and district-wise maps with the Coastal Regulation Zone demarcation for the existing aquaculture lands and potential lands - Satellite-based maps from Remote sensing or Space Application Centre shall be used.

(8) Water resources available with the Public Works Department, Irrigation Department or Water Resources Department shall be used.

(9) Brackishwater aquaculture farms and the lands suitable for aquaculture shall be listed on the basis of farmer-wise information collected in Form P-1 and Form P-2, village or panchayat information in Form P-3 and potential lands suitable for aquaculture in Form P-4.

(10) All stakeholders shall be consulted while identifying the aqua zones and potential lands by conducting meetings of the Gram Sabha, Taluk or Mandal and District Level.

(11) Wide publication of the data shall be made through notice boards at Panchayats, conspicuous public places and Government offices, District webportal and through other electronic, print and social media, inviting objections on the identified aqua zones and potential lands by the Committee and the grievances so received shall be duly considered and the final data with the approval of the Gram Sabha concerned shall be published on the notice board of the village or panchayat and district.

(12) The committee mentioned in sub-regulation (3) shall forward the approved aqua zone data along with potential lands details suitable for aquaculture at the village or panchayat level to the District Level Committee for finalization.

(13) The District Level Committee constituted under rule 10 of the said rules shall finalise the aquaculture area in the Form P-3 and the potential lands suitable for aquaculture in Form P-4 and also specify the required infrastructure facilities to be developed in the aquaculture zones and recommend the same to the Commissioner or Director of Fisheries concerned for taking further action.

(14) The Commissioner or Director of Fisheries concerned shall scrutinise the aquaculture area and place before the High-Level Committee at the State level consisting of representatives line Departments not below the rank of Director and headed by Secretary, Fisheries for examining and recommending an appropriate course of action to the Government.

(15) The Commissioner or Director of Fisheries concerned shall share the data of aqua zones notified within the jurisdiction of Coastal Aquaculture Authority to the Authority for publishing the same at national level.

(16) The data of aqua zones along with aqua maps generated shall be made available at the panchayat or village level, Taluk or Mandal and District level.

<<<>>>

Form P-1

(See sub-paragraphs (4) and (7) of paragraph 5)

Survey format for existing coastal aquaculture farm(s) for declaration of aqua zones

1. Date of survey :
2. Ownership of the farm (self owned by farmer/ lease/ Government land/ forest / others (Specify) :
3. If owned by the farmer or on lease, farmer's details
   (a) Name of the farmer (In block letters) :
   (b) Father/Husband Name :
   (c) Residential address
   (d) Mobile No. :
   (e) E mail ID :
   (f) Aadhaar Number (voluntary) :
4. Coastal aquaculture farm location details
   (a) Village/ Panchayat :
   (b) Taluk/ Mandal :
   (c) District with Pin Code :
   (d) Survey Number :
   (e) Geo-coordinates
      (I) Longitude :
      (II) Latitude :
5. Total farm area (Hectare) :
6. Water Spread Area (Hectare) :
7. Number of ponds existing :
8. Source of water (sea/creek/canal/backwaters /others (Specify) :
9. Name of the source water :
10. Date and year of commencement of aquaculture :
11. Whether the farm registered with Coastal Aquaculture Authority (Yes/No) :
    (a) If registered, registration Number :
    (b) Date of registration :
    (c) Registration/ Renewal period valid upto :
12. Soil characteristics of the farm

(a) Soil type (clay loam, silty clay, silty clay loam and clay etc.) specify :

(b) pH :

13. Water quality parameters

(a) Salinity levels (Above 5 ppt and upto 15 ppt/ Above 15 ppt, pl. specify) :

(b) pH :

(c) Alkalinity (ppm as $CaCO_3$) :

(d) Hardness (ppm as $CaCO_3$) :

14. Whether whole/ part of the farm falls under any of the following categories (Yes/No)

(a) Agriculture land :

(b) Forest land/ Govt. land :

(c) Land for village/public common purpose :

(d) Mangroves/ ecological sensitive areas :

15. Indicate the distance of the farm site from

(a) High Tide Line :

(b) Nearest drinking water source :

(c) Agriculture land :

(d) Mangrove/ecological sensitive areas :

(e) Human settlements :

(f) Sanctuaries/heritage areas :

(g) Reserve forest :

16. Details of bio-security facilities established

(a) Crab/Human fencing (Yes/No) :

(b) Bird fencing (Yes/No) :

(c) Foot dip with disinfectant (Yes/No) :

(d) Hand dip with disinfectant (Yes/No) :

(e) Inlet with proper filtration (Yes/No) :

(f) Outlet with mesh bags (Yes/No) :

(g) Effluent Treatment System (Yes/No) :

(h) If yes, % of farm area earmarked for Effluent Treatment System :

(i) Green belt development (Yes/No) :

(j) Solid Waste Management (Yes/No) :

(k) Separate implements for each pond(Yes/No) :

17. Species culturing details:

(a) Shrimp (specify the species) :

(b) Crab (specify the species) :

(c) Marine fin fish (specify the species) :

(d) Others (specify the species) :

(e) Stocking density (Seed/ sq. m) :

18. Whether the coastal aquaculture farm has any adverse impact on the nearby sources (Effect on agriculture lands, drinking water, mangrove, ecologically sensitives areas, livelihood of fishers/other users or human habitations etc.), If yes, please specify :

19. Recommendation of the Committee to declare the farm under aqua zonation :

Signatures of the Committee members

Form P-2

( See sub-paragraphs (5) and (7) of paragraph 5)

Survey format for identification of potential lands suitable for coastal aquaculture

1. Date of survey :
2. Ownership details of the potential land (self owned by farmer/ lease/ Government land/ Forest land/ others (specify) :
3. If self owned by farmer/lease, farmer details
   (a) Name of the farmer (In block letters) :
   (b) Father/Husband Name :
   (c) Residential address :
   (d) Mobile Number :
   (e) E mail ID :
   (f) Aadhaar Number (voluntary) :
4. Location of the potential land:
   (a) Village/ Panchayat :
   (b) Taluk/ Mandal :

(c) District with Pin code :

(d) Survey No's :

(e) Geo-coordinates:

(I) Longitude :

(II) Latitude :

5. Total extent of the land (Hectare) :

6. Category of potential land (Low productive /Alkaline/ Saline/low lying/others (specify)) :

7. Present utility of the land (Agriculture crop/ barren/ others specify) :

8. Soil characteristics of the potential land

(a) Soil type (clay loam, silty clay, silty clay loam and clay etc.) specify :

(b) pH :

9. Available source of saline water (sea/creek/canal/backwaters/others) :

10. Name of the source water :

11. Salinity levels (ppt range) :

12. Whether whole/ part of potential land falls under any of the following categories (Yes/No)

(a) Agriculture land :

(b) Forest land/ Govt. land :

(c) Land for village/public common purpose :

(d) Mangroves/ ecological sensitive areas :

13. Indicate the distance of the farm site from

(a) High Tide Line :

(b) Nearest drinking water source :

(c) Agriculture land :

(d) Mangrove/ecological sensitive areas :

(e) Human settlements :

(f) Sanctuaries/heritage areas :

(g) Reserve forest :

14. Whether the potential land, in case of conversion to aquaculture farm will have any effect on the nearby sources :

(Effect on agriculture lands, drinking water,
mangrove, ecologically sensitives areas,
livelihood of fishers/ other users and
human habitations), If yes, please specify

15. Recommendation of the Committee to declare as potential land suitable for coastal aquaculture :

Signatures of the Committee

Form P-3

( See sub-paragraphs (7) and (11) of paragraph 5)

Panchayat/ Village wise report for existing aquaculture area proposed for declaration of Aquaculture Zones in the __________________ District

District: Taluk/Mandal: Panchayat/Village:

Total area existing in agriculture & other crops (in ha): Total area existing in aquaculture (in hect):

| Sl. No | Ownership of the farm. | If the farmer's own land, Name of the farmer. | Father/Husband name. | Survey Number(s) / Khata / Plot no(s). | Farm Extent (in hectare) | Geo-coordinates. | | Water Source. | Soil Characteristics as per the soil health cards. | | | Water Source Characteristics for water source (Range to be mentioned). | | | | Whether the farm has any impact on the nearby resources, if yes specify. | Remarks/ Recommendation of the Committee to declare as aqua zones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Longitude | Latitude | | Soil type | pH | C:N ratio | pH | Salinity | Alkalinity | Hardness | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Colm-2: Ownership of the farm: Farmer’s own/lease/Government land/Forest/other specify

Colm-9: Water Source (Sea/ backwater/Drain/ Creeks/ Canals/ etc)

Colm-10: Soil type (clay loam, silty clay, silty clay loam, clay etc.)

Colm-17: Effect on agricultural lands, drinking water, mangrove, ecologically sensitive areas, livelihood of fishers/other users, human habitations etc (Yes/No), if yes specify

Signatures of the Committee Members:

Form P-4

( See sub-paragraphs (7) and (11) of paragraph 5)

Panchayat/ Village wise survey report on identification of potential land suitable for conversion into coastal aquaculture _________________ District

District: Taluk/Mandal: Panchayat/Village:

Existing area under agriculture & other crops: Existing area under aquaculture (in hectare):

Total area identified as potential land suitable for aquaculture (in ha):

| Sl. No. | Ownership of the land. | If farmer's own land, Name of the farmer . | Father/ Husband name. | Survey Nunber. | Extent of the potential land (in hectare) | Geo-coordinates. | | Present utility of land. | Category of the land. | Available saline water source. | Salinity of available water source (ppt -range). | Soil Characteristics as per the soil health cards. | | Whether the identified potential land has any impact on the nearby resources, if yes specify. | Remarks/ Recommendation of the Committee to declare as potential land for conversion into coastal aquaculture. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Longitude. | Latitude. | | | | | Soil type | pH | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Colm-2: Ownership of the land (Farmer's own/ lease/Government land/Forest/others (Specify)

Colm-9: Present utility of land (Under agriculture crops/barren/ others (Specify)

Colm-10: Category of the land (Low productive/ Alkaline/ Saline/others (Specify)

Colm-11: Available saline water source (Sea/Drain/ Creeks/ Canals/ etc)

Colm-13: Soil type (clay loam, silty clay, silty clay loam, clay etc.)

Colm-15: Effect on agricultural lands, drinking water, mangrove, ecologically sensitive areas, livelihood of fishers/other users, human habitations etc (Yes/No), if yes specify

Signatures of the Committee Members

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.07.28 11:52:12 +05'30'